संख्या 6/12/73/का–2-2014–टी0सी0-IV

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 17 जून, 2014

विषय :– उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को तत्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है। उक्त नियमावली में मृतक आश्रित की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर किये जाने की व्यवस्था है। इस नियमावली में अब तक ग्यारह संशोधन किये गये हैं। मूल नियमावली तथा अब तक किये गये ग्यारह संशोधन संलग्न किये जा रहे हैं।

2–मृतक आश्रित नियुक्ति के सम्बन्ध में योजित सिविल मिस0 रिट याचिका संख्या 2228 (एस0एस0)/2014 प्रकाश अग्रवाल बनाम रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2014 के प्रस्तर–49 में निम्नलिखित संवीक्षायें की गयी हैं :–

"(a) Application should be disposed of within three months from the date dependent applies for a job. Under Rules no time limit is prescribed but intent of the rule is to provide immediate relief to the family to meet immediate financial crisis [Shiv Kumar Dubey (supra)]. In this background, Appropriate Authority is supposed to dispose of such applications within a shortest possible time. In any case, application should not be kept pending for more than three months.

(b) Appointment under the Rules cannot be refused merely on the ground that financial status of the applicant is sound. Nor payment of retiral benefits at the time of death, furnishes any ground for refusal.

(c) Non availability of posts is no ground to refuse appointment.

(d) Appointment on Class III post can not be refused merely on the ground that deceased was Class III/IV employee.

(e) Appointment has to be offered according to qualification and suitability of candidate and the applicant should be given an appointment commensurate therewith. If appointing authority does not give appointment on the post claimed by applicant because of non-suitability, reasons have to be recorded by the appointing authority.

(f) Dependent of deceased has no right to claim particular position or place and it is in the discretion of the appointing authority to pass appropriate order warranted in the facts and circumstances of the case."

3–इस सम्बन्ध में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की उपर्युक्त संवीक्षाओं की कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग–4

———————

संख्या 6 / 12 / 1973 / नियुक्ति–4

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 1974

———————

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में–

(क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो–

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था : या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में, नियमित रूप से नियुक्त किया गया था : या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण :– ''नियमित रूप से नियुक्ति'' का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है;

(ख) ''मृत सरकारी सेवक'' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए;

(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे –

(1) पत्नी या पति,

(2) पुत्र,

(3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ

(घ) ''कार्यालय का प्रधान'' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

नियमावली का लागू किया जाना

3–यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव

4–इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

5–यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दे दी जानी चाहिये। जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषय वस्तु

6–इस नियमावली के लिये नियुक्ति के लिये आवेदन–पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलक्षित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायगा, किन्तु यह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन–पत्र में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :–

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कर रहा था;

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्यौरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्यौरे;

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा, और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ, यदि कोई हों।

प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों

7–यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों, तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषता उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जायेगा।

आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता

8–(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान

9–किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि–

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है;

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10–राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसे सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से,

गुलाम हुसेन,

आयुक्त एवं सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

अनुभाग–2

———————

प्रकीर्ण

28 फरवरी, 1981 ई0

सं0 4/7/1979–कार्मिक–2–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नये नियम 5–क का बढ़ाया जाना–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा।

मई, 1973 में मृत पुलिस/पीए0सी कार्मिकों के कुटुम्ब के सदस्य की भर्ती–

''5–क–नियम 5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी के ऐसे बाईस कार्मिकों के, जिनकी मृत्यु मई, 1973 में हुए उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।''

आज्ञा से,

मोहन चन्द्र जोशी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/7/1979-Personnel-2, dated February 20, 1981 :

टिप्पणी–राजपत्र दिनांक 27 फरवरी, 1982, भाग 1–क में प्रकाशित है।

(प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित)

No. 4/7/1979-Personnel-2,

February 20, 1981

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is please to make the following rules :

The Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness (First Amendment) Rules, 1981

1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (First Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force at once.

2. Insertion of new rule 5-A-In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, *after* rule 5, the following rule shall be *inserted* and shall be deemed always to have been *inserted* :

"5-A-Recruitment of member of the family of Police/P.A.C. personnel, who died in May, 1973-Notwithstanding anything to the contrary contained in rule 5 or in any other rule, the provisions of these rules shall apply in the case of members of the family of twenty-two Police or Provincial Armed Constabulary personnel who died as a result of disturbances in May, 1973 as they apply in the case of a Government Servant dying in harness after the commencement of these rules.

By order,

MOHAN CHANDRA JOSHI,

Secretary.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 1973 / कार्मिक–2

लखनऊ, दिनांक 12 अगस्त, 1991

———————

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम–3 के स्थान पर, नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
	वर्तमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियमावली का लागू किया जाना	3–यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।	नियमावली का लागू किया जाना	3–यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होंगे।

नियम 8 का संशोधन

3–उक्त नियमावली के नियम 8 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

''(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।''

आज्ञा से,

ओ0 पी0 आर्य,

सचिव।

संख्या 6 / 12 / 1973(1) / कार्मिक–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4–निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।

5–आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन जाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6–निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7–समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
जय दयाल पुरी,
संयुक्त सचिव।

———

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1973-Personnel-2, dated August 12, 1991 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL, SECTION-2

No. 6/12/1973-Personnel-2

Dated Lucknow, August 12, 1991

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :–

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (SECOND AMENDMENT) RULES, 1991

Short title and commencement

1. (1)These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Second Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force atonce.

Substitution of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, Hereinafter referred to as the said rules, *for* rule 3 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 below shall be *substituted*, namely :–

	COLUMN-1		COLUMN-2
	Existing rule		*Rule as hereby substituted*
Application of the rules	3. These rules shall apply to recruitment of dependants of the deceased Government servants to public services and posts in connection with the	Application of the rules	3. These rules shall apply to recruitment of dependants of the deceased Government servants to public services and posts in connection with the

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
affairs of State of Uttar Pradesh, except services and posts which are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission.	affairs of State of Uttar Pradesh, except services and posts which are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission or were previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and have later on been placed within the purview of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.

3. In rule 8 of the said rules *for* sub-rule (3), the following sub-rule shall be *substituted*, namely :– Amendment of rule 8

"(3) An appointment under these rules shall be made in the existing vacancy :

Provided that if no vacancy exists, the appointment shall be made forthwith against a supernumeraty post which shall be deemed to have been created for this purpose and which shall continue till a vacancy becomes available."

By order,
O. P. ARYA,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 73 / कार्मिक–2 / 93

लखनऊ, दिनांक 16 अप्रैल, 1993

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम–5 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 5 का संशोधन

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 5–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति :– (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो; (दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है : परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। (2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

आज्ञा से,

ओ0 पी0 आर्य,

सचिव।

संख्या 6/12/1973(1)/का0–2–93, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4–निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

5–आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन जाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6–निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7–समस्त सलाहकारों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

10–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी,
संयुक्त सचिव।

———

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1973-Personnel-2/93, dated April 15, 1993 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL, SECTION-2

No. 6/12/1973-Personnel-2/93

Dated Lucknow, April 16, 1993

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 :–

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (THIRD AMENDMENT) RULES, 1993

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependants of Government Servants Dying in Harness (Third Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, rule 5 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Recruitment of a member of the family of the deceased 5. In case a Government servant dies in harness after the commencement of those rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government	Recruitment of a member of the family of the deceased 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of those rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in government service which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules, provided such member fulfils the educational qualification prescribed for the post a no is also otherwise qualified for government service such employment should be given without delay and, as for as possible, in the same department in which the deceased Government servant was employed Prior to his death.	shall, on making an application for the purpose, by given a suitable employment in government service which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules, if such person– (1) Fulfils the educational qualifications prescribed for the post; (i) is otherwise qualified for Government service, and (ii) makes the application for employment within five years of the date of death of the Government Servant : Provided that the where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. (2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased government Servant was employed prior to his death.

By order,
O. P. ARYA,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 73 / का0–2-1994

लखनऊ, दिनांक 21 अप्रैल, 1994

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 5 के स्थान पर, नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 5–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हों, यदि ऐसा व्यक्ति :–	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भती 5–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति :–
(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो;	(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो;
(दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो, और	(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :
परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।	परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।	(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

आज्ञा से,
आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव।

———

संख्या 6/12/73/का0–2–94(1), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4–निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

5–आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन जाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6–निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7–समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी,
विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12–1973-Personnel-2-94, dated April 21, 1994 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-2

No. 6/12–1973-Personnel-2-94

Dated Lucknow, April 21, 1994

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 :–

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (FOURTH AMENDMENT) RULES, 1994

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependants of Government Servants Dying in Harness (Fourth Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, *for* rule 5 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Recruitment of a member of the family of the deceased 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purposes, be given a suitable employment in government service which is not within the purview of the State Public Service Commission is relaxation of the normal recruitment rules, if such person–	Recruitment of a member of the family of the deceased 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purposes, be given a suitable employment in the government service on a post execept the post which in within the purview of the State Public Service Commission, or which was previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and has, later on, been placed within the perview of the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person–
(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post;	(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post;
(ii) is otherwise qualified for Government service, and	(ii) is otherwise qualified for Government service, and

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(iii) makes the application for employment within five years of the date of the death of the Government Servant :	(iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant :
Provided that the where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.	Provided that the where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased government Servant was employed prior to his death.	(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased government Servant was employed prior to his death.

By order,

R. B. BHASKAR,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 73 / का0–2-1999

लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी, 1999

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–27

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पाँचवाँ संशोधन) नियमावली, 1999

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पाँचवाँ संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसके बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति :–
	(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो;
	(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और
	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :
	परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
	(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाए, यदि ऐसा व्यक्ति :–
	(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो;
	(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और
	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :
	परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
	(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII–73-Ka-2-99, dated January 20, 2006 :

No. 6/XII–1973-Ka-2-99

Dated Lucknow, January 20, 1999

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 :

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (FIFTH AMENDMENT) RULES, 1999

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependants of Government Servants Dying in Harness (Fifth Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, *for* existing rule 5 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Recruitment of a member of the family of the deceased 5. In case a government servant dies in harness after the commencement of these rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purposed, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission or which was previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and has, later on, been placed within the purview of the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission in relaxation of the normal recruitment rules, if such person– (i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post; (ii) is otherwise qualified for Government service, and (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant :	Recruitment of a member of the family of the deceased 5. In case a government servant dies in harness after the commencement of these rules and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purposes, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person– (i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post; (ii) is otherwise qualified for Government service, and (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant :

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Provided that the where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.	Provided that the where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.	(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.

By order,

SUDHIR KUMAR,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 73 / का0–2-2001

लखनऊ, दिनांक 12 अक्टूबर, 2001

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–36

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम 2 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :	(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :
1–पत्नी या पति,	1–पत्नी या पति,
2–पुत्र,	2–पुत्र,
3–अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।	3–अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।
	4–मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

नियम 5 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नियम 5 में वर्तमान उपनियम 2 (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।''

4–जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से,
डा0 हरिकृष्ण,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 73 / कार्मिक–2-2006

लखनऊ, दिनांक 28 जुलाई, 2006

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–45

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 5–(क) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामन्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति :–	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 5–(क) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामन्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति :–
(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूर करता हो;	(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूर करता हो;
(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और	(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :
परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।	परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :
	परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लाये सभी तथ्यों पर विचार करते हुये समुचित निर्णय लेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।	(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।	(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व आश्रित थे।
(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।	(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से,

उमेश सिन्हा,

सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII–1973-Personnel-2-2006, dated July 28, 2006 :

No. 6/XII–1973-Personnel-2-2006

Dated Lucknow, July 28, 2006

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974.

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2006

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Seventh Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

Substitutiion of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, *for* existing rule 5 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Recruitment of a member of the family of the deceased 5. (A) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government Servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person–	Recruitment of a member of the family of the deceased 5. (A) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government Servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in the Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person–
(i) fulfils the educational qualification prescribed for the post;	(i) fulfils the educational qualification prescribed for the post;
(ii) is otherwise qualified for Government service; and	(ii) is otherwise qualified for Government service; and
(iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant :	(iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant :
Provided that where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.	Provided that where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :
	Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment alongwith the necessary document/proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay take the appropriate decision.

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.	(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.
(3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government Servant who were dependent on the deceased Government Servant immediately before his death and are unable maintain themselves.	(3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government Servant who were dependent on the deceased Government Servant immediately before his death and are unable maintain themselves.
(4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.	(4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his service may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

By order,

UMESH SINHA,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 73 / कार्मिक–2-2007

लखनऊ, दिनांक 9 फरवरी, 2007

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवां संशोधन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवां संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम 2 में, स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **वर्तमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :–	(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :–
1–पत्नी या पति,	1–पत्नी या पति,
2–पुत्र,	2– पुत्र,
3–अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,	3–अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,
4–मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	4–मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था : परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से,
उमेश सिन्हा,
सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII–1973-Personnel-2-2007, dated February 9, 2007 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL, SECTION-2

No. 6/XII–1973-Personnel-2-2007

Dated Lucknow, February 9, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974.

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2007

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Eighth Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2 *for* existing clause (c) set out in Column-1 below the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing clause	*Clause as hereby substituted*
(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :–	(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :–
(i) wife or husband;	(i) wife or husband;
(ii) sons;	(ii) sons;
(iii) unmarried and widowed daughters;	(iii) unmarried and widowed daughters;
(iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried.	(iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried: Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the worked "family" shall also include the grandsons and the unmarried grand daughters of the deceased Government servant dependant on him.

By order,

UMESH SINHA,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 73 / का0–2-2011 टी0सी0–IV

लखनऊ, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि–89

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम 2 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :–	(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :–
1–पत्नी या पति,	1–पत्नी या पति,
2–पुत्र,	2– पुत्र / दत्तक पुत्र,
3–अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,	3–अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएं,
4–मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित थाः	4–मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था,
	5–ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी :
परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।	परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से,

कुँवर फतेह बहादुर,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII–1973-Personnel-2-2011T.C.-IV, dated December 22, 2011 :

No. 6/XII–1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV

Dated Lucknow, December 22, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974.

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (NINTH AMENDMENT) RULES, 2011

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Ninth Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2 *for* existing clause (c) set out in Column-1 below the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*
(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :–	(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :–
(i) wife or husband;	(i) wife or husband;
(ii) sons;	(ii) sons/adopted sons;
(iii) unmarried and widowed daughters;	(iii) unmarried daughters, unmarried adopted daughters, widowed daughters and widowed daughters-in-law;
(iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried:	(iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried:
	(v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court:
Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the wored "family" shall also include the grandsons and the unmarried grand daughters of the deceased Government servant dependant on him	Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the wored "family" shall also include the grandsons and the unmarried grand daughters of the deceased Government servant dependant on him.

By order,

KUNWAR FATEH BAHADUR,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12 / 73 / का0–2-टी0सी0–IV

लखनऊ, दिनांक 17 जनवरी, 2014

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–5

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामन्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति ,–	**5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती**–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामन्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति ,–
(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो;	(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी;
(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो; और	(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो; और
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :
परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:	परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेख/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुये समुचित निर्णय लेगी।	परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुये समुचित निर्णय लेगी।
(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।	(2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।	(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।	(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से,

राजीव कुमार,

प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII–73-Ka-2-T.C.-IV, dated January 17, 2014 :

No. 6/XII–73-Ka-2-T.C.-IV

Dated Lucknow, January 17, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974.

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (TENTH AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Tenth Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, *for* existing rule 5 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
5. **Recruitment of a member of the family of the deceased**-(1) In case a Government Servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government Servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or	5. **Recruitment of a member of the family of the deceased**-(1) In case a Government Servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government Servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
a State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person ,–	a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person,–
(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post;	(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post : Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependant of the deceased Government Servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, his services shall be dispensed with;
(ii) is otherwise qualified for Government Service; and	(ii) is otherwise qualified for Government Service; and
(iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant : Provided that where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner : Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment alongwith the necessary documents/proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay, take the appropriate decision.	(iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant : Provided that where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner : Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment alongwith the necessary documents/proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay, take the appropriate decision.

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.	(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.
(3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government Servant who were dependant on the deceased Government Servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.	(3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government Servant who were dependant on the deceased Government Servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.
(4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.	(4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

By order,

RAJIV KUMAR,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———————

संख्या 6 / 12–73 / का0-2-टी0सी0–IV

लखनऊ, दिनांक 22 जनवरी, 2014

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–4

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति ,–	**5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती**–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति ,–
(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :	(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :
परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी;	परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी :
	परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक सरकारी

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त ''सी0सी0सी0'' प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी;
(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो; और	(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो; और
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :
परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :	परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुये समुचित निर्णय लेगी।	परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुये समुचित निर्णय लेगी।
(2) जहाँ तक सम्भव हो ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।	(2) जहाँ तक सम्भव हो ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।	(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।	(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से,

राजीव कुमार,

प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII–73-Ka-2-T.C.-IV, dated January 22, 2014 :

No. 6/XII–73-Ka-2-T.C.-IV

Dated Lucknow, January 22, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974.

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (ELEVENTH AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Eleventh Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, *for* existing rule 5 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
5. **Recruitment of a member of the family of the deceased**-(1) In case a Government Servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government Servant is not	5. **Recruitment of a member of the family of the deceased**-(1) In case a Government Servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government Servant

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person,–	is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person,–
(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post :	(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post :
Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependant of the deceased Government Servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, his services shall be dispensed with.	Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependant of the deceased Government Servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, his services shall be dispensed with :
	Provided further that in case appointment is to be made on a post for which the knowledge of computer operation and typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependant of the deceased Government Servant does not possess the required proficiency in computer operation and typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the 'CCC' certificate in computer operation awarded by the DOEACC Socity or a certificate equivalent thereto from an Institution recognised by the Government together with the required speed of 25 words per minute in typewriting well

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	within one year and, if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the required certificate in computer operation and the required speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the required certificate in computer operation and the required speed in typerwriting, his services shall be dispensed with;
(ii) is otherwise qualified for Government Service; and	(ii) is otherwise qualified for Government Service; and
(iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant :	(iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant :
Provided that where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :	Provided that where the State Govrernment is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :
Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment alongwith the necessary documents/proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay take the appropriate decision.	Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment alongwith the necessary documents/proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay take the appropriate decision.
(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.	(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.
(3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government Servant who were dependant on the deceased Government Servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.	(3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government Servant who were dependant on the deceased Government Servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.	(4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

संख्या 4/2019/6/12/73टी0सी0-IV-का-2

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 8 अप्रैल, 2019

विषय :– उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो ंको तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' (यथा संशोधित) कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत की गई है। उक्त नियमावली के नियम 5(1)(तीन) में निम्नवत् प्राविधान है :–

सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण नीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

2–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु समय–सीमा में शिथिलता आवश्यक है, तो आवेदक द्वारा विलम्ब से दिये गये आवेदन का औचित्यपूर्ण परीक्षण कर विभागीय अभिमत सहित प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ऐसे समस्त मामलों में कार्मिक विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्तावों को मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 4(1)/2019/6/12/73टी0सी0-IV-का-2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी,
विशेष सचिव।

संख्या 5 / 2021 / 6 / 12 / 73का-2/टी0सी0-IV-(IV)-2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 2 नवम्बर, 2021**

विषय :– उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक आश्रितों के समायोजन में आ रही कठिनाइयों के निवारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के मुख्य प्राविधान निम्नवत् है :–

(i) नियम 5(1)–यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, तो उसके कुटुम्ब के ऐसे सदस्य को, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति :–

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो;

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो; और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के जिए नियत समय–सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत व साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(ii) नियम 5(2)–जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

(iii) नियम 8(3)–इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जाएगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया सर्मझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

2–कोविड एवं दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से अब तक नॉन कोविड के कारण मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने तथा उनके समस्त देयकों आदि के भुगतान करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर समय–समय पर विभिन्न विभागों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कतिपय विभागों द्वारा तृतीय / चतुर्थ श्रेणी में पदों की अनुपब्धता एवं पहले से ही अधिसंख्य पदों पर पर्याप्त कर्मी के कार्यरत होने के कारण और अधिक अधिसंख्य पद सृजित किये जाने में हो रही कठिनाई से अवगत कराया गया।

3–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि नियम 5(2) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि ''जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।'' तथापि ऐसे विभाग जहाँ सेवायोजन सम्भव न हो वहाँ पर अन्य विभागों में सेवायोजन प्रदान किया जा सकता है। अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम 2(क) के अन्तर्गत परिभाषित सरकारी सेवकों के ऐसे आश्रितों को समयबद्ध रूप से अन्य विभागों में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

(i) ऐसे विभाग जिनके यहाँ मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने हेतु सीधी भर्ती के समूह 'ग' के पदों में पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं हैं तथा 10 प्रतिशत से अधिक अधिसंख्य पद सृजित करने की आवश्यकता पड़ रही है, वे औचित्य सहित अपना प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायेंगे जिसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि कितनी संख्या के मृतक आश्रितों के पदों को अन्य विभाग में समायोजित करने की आवश्यकता है और उनकी नियमावली, न्यूनतम अर्हता का विवरण भी उपलब्ध करायेंगे।

(ii) कार्मिक विभाग समस्त प्रशासकीय विभागों से समन्वय स्थापित करके सम्बन्धित विभागों के समूह 'ग' के रिक्त पद तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अधियाचित पदों की सूचना एकत्रित करके अद्यावधिक रखेगा।

(iii) याचक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण करने के पश्चात् ऐसे विभाग चिन्हित किये जायेंगे, जहाँ मृतक आश्रितों को समूह 'ग' के पद के स्तर पर समायोजन सम्भव हो सकता है।

(iv) कार्मिक विभाग के परीक्षण के उपरान्त इसे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जायेगा, जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/कार्मिक सदस्य सचिव तथा सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा किस मृतक आश्रित की किस विभाग में किस पद पर नियुक्ति होनी है, की संस्तुति की जायेगी तथा उक्त संस्तुति पर मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उक्त निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति–पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(v) तत्क्रम में ही सभी विभागों द्वारा सीधी भर्ती के अन्तर्गत समूह 'ग' (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पद) के सृजित पदों की कुल संख्या एवं उसके सापेक्ष रिक्त पदों पर चयन हेतु सम्बन्धित विभागों में उक्त के आलोक में अधियाचित पदों की संख्या को मृतक आश्रित की संख्या की सीमा तक कम करके संशोधित अधियाचन प्रेषित किया जायेगा।

कृपया उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

———

संख्या 5(1)/2021(1)/6/12/73का-2/टी0सी0-IV-(IV)-2021, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2–प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3–निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4–निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5–प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8–सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9–निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10–वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल,
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 6/2021/6/XII–1973-का-2-2021टी0सी0-(IV)-2021

लखनऊ, दिनांक 12 नवम्बर, 2021

अधिसूचना संख्या 6/2021/6/XII–1973-का-2-2021टी0सी0-(IV)-2021, दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।

3–निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।

4–निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।

5–प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

6–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

7–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

8–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

9–सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

10–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

11–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12–निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।

13–निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

14–वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।

15–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

16–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय कुमार संखवार,
संयुक्त सचिव।

क्रम-संख्या–218(ग–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ शुक्रवार, 12 नवम्बर, 2021

कार्तिक 21, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

———

संख्या 6 / 12 / 1973-का-2-2021टी0सी0-IV

लखनऊ, 12 नवम्बर, 2021

———

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–102

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नियम 2 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगेः—	(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगेः—
(एक) पत्नी या पति;	(एक) पत्नी या पति;
(दो) पुत्र/दत्तक पुत्र;	(दो) पुत्र/दत्तक पुत्र;
(तीन) अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएँ;	(तीन) पुत्रियाँ, (जिनमें दत्तक पुत्रियाँ सम्मिलित हैं) और विधवा पुत्र वधुएँ;
(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।
(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी :	(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी :
परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।	परन्तु यह कि यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII-1973-Personnal-2-2021 T.C.-IV, dated November 12, 2021 :

No. 6/XII-1973-Personnal-2-2021-T.C.-IV

Dated Lucknow, November 12, 2021

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974.

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (TWELFTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Twelfth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2, *for* existing Clause (c) set out in Column-1 below, the Clause as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely:-

COLUMN-1	COLUMN -2
Existing clause	*Clause as hereby substituted*
(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:-	(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:-
(i) wife or husband;	(i) wife or husband;
(ii) sons/adopted sons;	(ii) sons/adopted sons;
(iii) unmarried daughters, unmarried adopted daughters, widowed daughters and widowed daughters-in-law;	(iii) daughters, (including adopted daughters) and widowed daughters-in-law;
(iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependent on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried ;	(iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependent on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried ;
(v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court:	(v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court:
Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried grand daughters of the deceased Government servant dependent on him.	Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried grand daughters of the deceased Government servant dependent on him.

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.

संख्या 07 / 2022 / 6 / 12 / 73 / 47-का-2–2022टी0सी0-IV

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 4 मई, 2022**

विषय :– उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन से पूर्व के विवाहित पुत्रियों आदि को मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 6 / 2021 / 6 / 12 / 73-का-2–2021टी0सी0-IV-2021, दिनांक 12 नवम्बर, 2021 द्वारा उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा नियम 2(ग) में ''कुटुम्ब'' की परिभाषा के अन्तर्गत उप नियम (तीन) में पुत्रियाँ (जिसमें दत्तक पुत्रियाँ सम्मिलित हैं) और विधवा पुत्र वधुएँ का प्राविधान किया गया है। उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

2–उक्त नियमावली के प्रख्यापन के बाद कार्मिक विभाग में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नवत् बिन्दु पर परामर्श हेतु प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं।

''उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021, दिनांक 12 नवम्बर, 2021 को प्रख्यापित की गयी है, जो तुरन्त प्रवृत्त होगी का उल्लेख किया गया है, परन्तु प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की आश्रित विवाहित पुत्रियों द्वारा जिन प्रकरणों में दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के पूर्व से ही अपने मृतक पिता / माता के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन की मांग की जा रही है, के प्रकरणों में उक्त संशोधन के आधार पर ही सेवायोजन की कार्यवाही की जायेगी, अथवा नहीं''।

3–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 के उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रस्तर–5(1) (तीन) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मृतक आश्रित द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन किया जाना आवश्यक है। परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहाँ अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

4–अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 से आच्छादित प्रकरणों में भी उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 के ''प्रस्तर–5(1)(तीन) का उपबन्ध जो कि वर्ष 1993 से ही प्रवृत्त है'', प्रभावी होगा।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या 07 / 2022(1) / 6 / 12 / 73 / 47-का-2–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

3–निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।

4–प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

5–प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

6–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

7–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

8–सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

9–सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

10– निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

11– वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।

12–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय कुमार संखवार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 भाषा–19–06–2020–(168)–2,000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।